आई लव मोहम्मद पर बवाल, पुलिस का फ्लैग मार्च

धारा 163 लागू, ड्रोन से हो रही निगरानी, कई राज्यों में पोस्टर पॉलिटिक्स, धार्मिक तनाव

बरेली/कानपुर, 26 सितंबर. देश में आई लव मुहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टरों की जंग अब सड़कों से लेकर सियासत तक पहुंच चुकी है. बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा के ज्ञापन आंदोलन की चेतावनी से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं.

वहीं कानपुर समेत कई शहरों में पुलिस अलर्ट पर है. बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मुहम्मद मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने की घोषणा प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है. उन्होंने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट तक मार्च का ऐलान किया है. प्रशासन ने इसे देखते हुए जिले में धारा 163 लागू कर दी है और पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है. डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में गुरुवार शाम को फ्लैग मार्च किया गया.

प्रदर्शन में नाबालिग बच्चे भी शामिल

खास बात यह है कि नाबालिग बच्चों के प्रदर्शन में शामिल होने पर उनके अभिभावकों पर भी कार्रवाई की जाएगी. शहर को सेक्टर और सब सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है. कुल 3,218 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें पीएसी की 5 कंपनियां, 500 दरोगा और 2,500 सिपाही शामिल हैं. साथ ही 8 ड्रोन टीम, 15 क्विक रिस्पांस टीमें भी लगातार निगरानी में लगी हैं. मौलाना तौकीर रजा ने आरोप लगाया है कि आई लव मुहम्मद कहने पर कार्रवाई हो रही है, जबकि यह धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति है, कोई अपराध नहीं.

रजा ने कहा कि कानून व्यवस्था के नाम पर मुस्लिम समुदाय की आवाज को दबाया जा रहा है. उधर कानपुर में भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है. यहां जुमे की नमाज के साथ-साथ रामलीला कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में भारी बल तैनात किया है और फ्लैग मार्च निकाला है. आई लव मुहम्मद और इसके जवाब में आई लव महादेव जैसे पोस्टरों ने देश में नया धार्मिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है.

केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना

केजरीवाल ने कहा, हमने देश को अंग्रेजों से आज़ाद इसलिए नहीं कराया था कि अब जनता अंग्रेजों की जगह भाजपा की गुलाम बन जाए. भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने जिस लोकतंत्र के लिए जान दी, आज वही लोकतंत्र खतरे में है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आज लद्दाख की आवाज को अनसुना किया गया, तो यह कल पूरे देश की आवाज बन जाएगी. उन्होंने इसे न सिर्फ लद्दाख की, बल्कि पूरे भारत की लोकतांत्रिक अधिकार की लड़ाई बताया. केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर रही है और स्थानीय शासन को समाप्त कर रही है, वह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है.

नई दिल्ली, 26 सितंबर. लेह स्थित प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द होने के बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है. अब इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में सामने आए हैं. उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया है.

केजरीवाल ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा है, उसे अब सत्ता की सस्ती राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सत्ता के नशे में चूर है और देश के हर कोने में उठ रही जनता की आवाज को दबा रही है.

स्वामी के 8 करोड़ रुपये फ्रीज

नईदिल्ली, 26 सितंबर. दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लगभग 8 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया है. यह रकम 18 अलग-अलग खातों और 28 एफडी में जमा थी और यह सभी पैसे आरोपी पार्थसारथी द्वारा बनाए गए ट्रस्ट से जुड़े पाए गए हैं. वहीं अदालत ने स्वामी चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है. उनके खिलाफ श्री शारदा पीठम, श्रृंगेरी की संपत्ति में धोखाधड़ी, जालसाजी और करोड़ों रुपये के गबन के गंभीर आरोप हैं. मामला एफआईआर नंबर 320/2025 के तहत वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस थाने में दर्ज हुआ है.

सुल्तानगंज-कटोरिया रेल लाइन का काम होगा शुरू, शिव भक्तों को सौगात

नईदिल्ली, 26 सितंबर. भारतीय रेल ने बिहार के सुल्तानगंज कटोरिया रेल लाइन का काम चालू करने का फैसला लिया है. इससे भागलपुर और देवघर सहित पूरे देश के शिव भक्तों को रेलगाड़ी के माध्यम से सफर करने में आसानी होगी. इस परियोजना की कुल लंबाई 74.8 किलोमीटर है और यह असरगंज, तारापुर और बेलहर के रास्ते में पड़ती है. इस प्रस्तावित रेल खंड में सुल्तानगंज और कटोरिया के साथ-साथ असरगंज, तारापुर, बेलहर, श्रीनगर और सूयाबथान में ठहराव दिया गया है. कटोरिया एक जंक्शन स्टेशन बनेगा, अभी कटोरिया स्टेशन बांका-जसीडीह रेल लाइन पर पड़ता है.

परियोजना के पूरा हो जाने पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं के जल लेकर देवघर तक जाने में आसानी होगी. पूरी परियोजना पर नवीनतम अनुमानों के मुताबिक लगभग 1261 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

अविजीत सरकार हत्याकांड में के आरोपी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 सितंबर. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को अविजीत सरकार हत्याकांड से जुड़े एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के बाद हुई हिंसा से संबंधित है. सीबीआई ने बताया कि यह मामला 25 अगस्त 2021 को दर्ज किया गया था और मामले की विस्तृत जांच के बाद 30 सितंबर 2021 को 20 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था. इसके बाद 30 जून 2025 को 18 और आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया. गुप्त सूचना के आधार पर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

परिशिष्ट B - संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, भोपाल
आरसीएस बी /271/2024
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
कलान्या फैशन्स प्रा.लि.
द्वारा प्रबंध संचालक शंकर सेवानी बनाम
पीयूष उपाध्याय
NEXT DATE : 29-10-2025

प्रेषिती-
पीयूष उपाध्याय
ओमप्रकाश उपाध्याय
पता -348, व्यंकटेश बिहार, एयरपोर्टरोड, इंदौर म.प्र

यह कि प्रार्थी कलान्या फैशन्स प्रा. लि. द्वारा प्रबंध संचालक शंकर सेवानी ने आपके विरुद्ध आरसीएस बी/271/2024 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात /हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टिकरें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।
यह आज तारीख 10-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मुद्रा

न्यायाधीश
राहुल कुमार नामदेव
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खंड, भोपाल (म.प्र.)

परिशिष्ट B - संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, भोपाल
आरसीएस बी /272/2024
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
कलान्या फैशन्स प्रा.लि.
द्वारा प्रबंध संचालक शंकर सेवानी बनाम
अमन बनोधा
NEXT DATE : 29-10-2025

प्रेषिती-
अमन बनोधा
जगदीश बनोधा
पता -गली नं.1, 27 मुमताज बाग कॉलोनी, खजराना इंदौर म.प्र

यह कि प्रार्थी कलान्या फैशन्स प्रा. लि. द्वारा प्रबंध संचालक शंकर सेवानी ने आपके विरुद्ध आरसीएस बी/272/2024 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात /हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टिकरें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।
यह आज तारीख 10-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मुद्रा

न्यायाधीश
राहुल कुमार नामदेव
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खंड, भोपाल (म.प्र.)

आज का इतिहास

1290 - चीन के चिली की खाड़ी में भूकंप से करीब एक लाख लोगों की मौत हुई।

1760 - मीर कासिम बंगाल के नवाब बने।

1821 - मैक्सिको को स्वतंत्रता मिली।

1833 - समाज सुधारक राजा राममोहन राय का निधन।

1825 - इंग्लैंड में स्टॉकटन-डार्लिंगटन लाइन की शुरुआत के साथ दुनिया का पहला सार्वजनिक रेल परिवहन शुरू हुआ।

1932 - भारतीय निर्देशक यश चोपड़ा का जन्म।

1940 - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली, जर्मनी एवं जापान ने धूरी राष्ट्र के समझौते पर हस्ताक्षर किया।

1953 - भारतीय, धार्मिक गुरू माता अमृतानंदमयी का जन्म।

1958 - मिहिर सेन ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने।

1961 - सिएरा लियोन संयुक्त राष्ट्र का सौवां सदस्य बना।

नीतीश ने दरभंगा में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया

दरभंगा, 26 सितम्बर. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दरभंगा जिले में 3976 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज एक दिवसीय दौरे पर दरभंगा शहर के कबराघाट स्थित मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान पहुंचे जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री कुमार ने कुल 3976 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उदघाटन किया है. कुमार ने इसके बाद मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान परिसर का निरिक्षण किया एवं वहां के पुस्तकालय में रखी बहुमूल्य पाण्डुलिपियों का निरीक्षण किया.

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
TATA
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुबंई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के उपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।
ऋणी (यों) द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, ऋणी (यों) को विशेष रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे ऋणी (यों) ने **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट इंदौर** द्वारा नीचे उल्लेखित सी.सी. नंबर में पारित आदेश के मद्देनजर न्यायालय आयुक्त/तहसीलदार के माध्यम से यहां वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है और उक्त तहसीलदार ने नीचे हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी को **भौतिक कब्जा** सौंप दिया है।
ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दि. / कब्जा दिनांक	आदेश दिनांक / केस नं.
TCHIN02840001 00082985 & TCHHL0284000 100081363 & TCHHF0284000 100293727	श्रीमती शाइस्ता मंसूरी, स्वर्गीय आसिफ मुस्तफा की पत्नी कानूनी उत्तराधिकारी (ऋणी) श्रीमती मुबीना पति अहमद (सह-ऋणी)	Rs.17,002/- & Rs.10,03,007/- & Rs.3,48,849/-	11-02-2025 / 24-09-2025	08-09-2025 / Case No.0111/ B-121/2025-26

सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति के संपूर्ण भाग एवं अंश, अपार्टमेंट नं.101, बिल्डिंग नं. ए-4 में प्रथम मंजिल पर, उक्त टाउनशिप अर्थात् 'ट्रेजर विहार' में, 36.012 हेक्टेयर (88.949 एकड़) या उसके आसपास का क्षेत्रफल, बिजलपुर ग्राम स्थित, एमआर-3, चोइथराम स्क्वायर के पास, एबी रोड इंदौर, मध्य प्रदेश, जिसका सुपर बिल्ट अप एरिया 55.85 वर्ग मीटर (601 वर्ग फीट), जैसा कि योजना में दिखाया गया है 'श्रीराम कॉलोनी' ब्लॉक - ई, ग्राम राऊ, तहसील एवं जिला इंदौर, क्षेत्रफल 646 वर्ग फीट **चर्तुसीमाएँ:-** उत्तर: अपार्टमेंट नं.104, दक्षिण: खुला भाग, पूर्व: खुला भाग, पश्चिम: अपार्टमेंट नं.102

दिनांक : 24-09-2025 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : इंदौर (म.प्र.) **वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड
Chola Enter a better life
कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600 032

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आपको, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / सह-उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने आपके खिलाफ प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत कार्यवाही शुरू की है और आपको पंजीकृत डाक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस भेजा गया है। उधारकर्ता / उधारकताओं के लिए देय राशि बिना वितरित किए वापस आ गई है। इसलिए, आपको इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस लेने और उक्त खाते के खिलाफ उल्लिखित बकाया ऋण राशि का भुगतान ब्याज के साथ करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल रहने पर कंपनी ब्याज और लागतों के साथ अपने बकाये की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षा को लागू करके अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके आपके खिलाफ आगे बढ़ेगी। यह उल्लेख करना अनावश्यक है

स. क्र.	ऋण खाता संख्या और नाम और उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का पता	ऋण राशि	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि
1.	स्वीकृति संख्या / ऋण संख्या: 550/TL/2023-24/TL01IN D00000044081 1. मैसर्स. ईश्वर गृह उद्योग, (उधारकर्ता) नंबर 15, रामबली नगर किला, मेदान रोड, इंदौर - 452 001. 2. श्री रोहित मेहता, (सह उधारकर्ता) 3. श्रीमती शांता बाई, (सह-उधारकर्ता) क्रमांक 2 और 3 में निवास: क्रमांक 97, अखंड नगर, इंदौर- 452 005।	रु. 30,17,169/-	15.09.2025 और 28,96,177/- रुपये 15.09.2025 तक उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित। एनपीए दिनांक : 05.09.2025

संपत्ति की अनुसूची: नेहा अपार्टमेंट, प्लॉट/मकान नंबर 3, लालबाग रोड, इंदौर (मध्य प्रदेश) के भाग संख्या 102, बी-ब्लॉक, पहली मंजिल का पूरा हिस्सा। कुल निर्मित क्षेत्रफल 880 वर्ग फुट (81.78 वर्ग मीटर)। सीमा इस प्रकार है: पूर्व में फ्लैट संख्या 101-बी, पश्चिम में उसी प्लॉट का शेष भाग, उत्तर में ब्लॉक-ए, दक्षिण में फ्लैट संख्या 104-बी।

दिनांक: 27.09.2025 **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान: चैन्नई **चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड के लिए**

केनरा बैंक Canara Bank भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking सिंडिकेट Syndicate
ए.आर.एम. शाखा- प्लाट नं. 04, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणधारी को निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज राशि एवं सहित नोटिस प्राप्ति के 60 दिन की समयावधि के भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था।
ऋणी निर्धारित समय सीमा मे ऋण का भुगतान करने मे असफल रहा है। अतः ऋणी/जमानतदार एव सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम (8 एवं 9) के अंतर्गत नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
ऋणग्रहीता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्नलिखित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिए **केनरा बैंक की ए.आर.एम. शाखा** के अधीन होगा।
ऋणी एवं जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (**redeem** कराने) के संबंध में अधिनियम की धारा (13) एवं उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

ऋणी /बंधककर्ता/ जमानतदारों का नाम	मांग नोटिस दिनांक / कब्जा दिनांक	कब्जा की गई संपत्ति का विवरण
मेसर्स सारथी मोटर्स प्रोपराइटर-रश्मि मालवीय पुत्री योगिता मालवीय, मेसर्स त्रिशक्ति एंड हर्षिस द एंटीक कलेक्शन प्रोपराइटर- रश्मि मालवीय श्रीमती रश्मि मालविया पुत्री योगिता मालविया श्री खेमराज सिसौदिया पुत्र रमेश चंद एवं श्रीमती बाबी बाई	09.07.2025 / 25.09.2025 मांग सूचना अनुसार बकाया राशि ₹ 63,55,120.84/- +दिनांक 09.07.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्चे	रिहायशी मकान स्थित प्लॉट संख्या 01-बी और 15-बी, चंद्र विहार कॉलोनी, ग्राम उमरिया, तहसील और जिला इंदौर, म.प्र.-453331, क्षेत्रफल: 2400 वर्गफुट। चर्तुसीमाएं: पूर्व - रोड कच्चा, पश्चिम - रोड, उत्तर- खुली भूमि, दक्षिण- प्लॉट संख्या 1ए/15-ए,

स्थान-इंदौर, दिनांक : 25.09.2025 प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	125940627.	होम लोन	04.08.2025	4,94,202.11/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. भगवान सिंह 2. विलम बाई

संपत्ति का पता: प्लॉट/मकान नंबर 66 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका माप 462.5 वर्ग फीट है, भूमि सर्वेक्षण संख्या 65 का हिस्सा, गांव कांकरियाचंद, ग्राम पंचायत गावड़ी, पी.एच. नंबर 10, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह इस प्रकार से घिरा है: उत्तर: रोड, दक्षिण: मकान नंबर 68 श्यामू बाई पत्नी नागूलाल, पूर्व: मकान नंबर 67 ईश्वर पुत्र मांगीलाल, पश्चिम: मकान नंबर 65 माखन गुर्जर पुत्र उदय सिंह, इसके साथ जुड़े अधिकार, स्वतंत्रता और अनुमोदन, वर्तमान और भविष्य, भवन, संरचनाएं, निर्माण और / या निर्माण और उसके बाद के विकास और पृथ्वी से जुड़े सभी संयंत्र और मशीनरी या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई, वर्तमान और भविष्य दोनों

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 27.09.2025 **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड**
स्थान: उज्जैन **के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
पीथमपुर शाखा: दुकान नंबर DUGF-46 & DUGF-47, संपत्ति नंबर 138 एवं 139, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स एवं संस्कार वैली, महू-नीमच रोड, पीथमपुर, जिला-धार (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 05100001093/ पीथमपुर शाखा) सुबान बैग(ऋणी), साना बी (सह-ऋणी) फुरकान बैग एवं शेख हुसैन (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, यूनिट नं. बी-103 (ईडब्ल्यूएस), एफएफ बिल्डिंग बी, ट्रेजर टाउन ग्राम बीजलपुर , तहसील इन्दौर मध्यप्रदेश-452001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- यूनिट नं. 102, पश्चिम- खुली जगह, उत्तर - कॉरिडोर, दक्षिण - खुली जगह	16-04-2021 & ₹ 5,03,653/-	25-09-2025

स्थान : मध्य प्रदेश **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 27-09-2025 **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

परिशिष्ठ IV (नियम 8(1)) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई 400098

जबकि यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे यथा उल्लिखित मांग सूचना जारी की थी जिमसें कर्जदार(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के अंदर भुगतान करने के लिए कहा।
इसके बाद, असाईनर संदर्भित ने अधोल्लिखित वित्तीय परिसंपत्तियाँ **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को स्वयं/अपनी **उल्लेखित विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टी** की क्षमता से कार्यरत (यहाँ आगे **"ईएआरसी"** कहा गया है) असाइनमेंट एग्रीमेंट के अनुसार सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत एसाइन कर दीं। ईएआरसी असाईनर की भूमिका में आ गया और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में विचाराधीन प्रतिभूति हितों, गारंटी, रेहनों सहित असाईनर के सभी अधिकार, हक और हित कर्जदार द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में **ईएआरसी** को निहित हो गए हैं और **ईएआरसी** प्रत्याभूत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकार प्रयोग करता है।
कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** प्रत्येक संपत्ति के समक्ष उल्लेखित दिनांक को ले लिया है।
उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्वजन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

समनुदेशक का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नंबर	उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की राशि एवं सूचना दिनांक	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
इंडसइंड बैंक	EARC TRUST SC-353	III00241N	1. मेसर्स राज स्पोर्ट्स (ऋणी) 2. श्री रविन्द्र सिंह मुछाल (सह-ऋणी) मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व: 1. श्रीमती राजदीप कौर (सह-ऋणी) एवं श्री रविन्द्र सिंह मुछाल की कानूनी उत्तराधिकारी 2. श्री इशमीत सिंह मुछाल, रविन्द्र सिंह मुछाल के कानूनी उत्तराधिकारी नंबर 2 3. सुश्री गुनमीत मुछाल, रविन्द्र सिंह मुछाल की कानूनी उत्तराधिकारी नंबर 3	Rs. 64,07,889.86 (रुपये चौसठ लाख सात हजार आठ सौ उनब्बे एवं छियासी पैसे मात्र) एवं 02/05/2022	23-09-2025	भौतिक आधिपत्य

अचल संपत्ति का विवरण: संपत्ति क्रमांक 1: फ्लैट नं. 102, 103, 104, कुल सुपर बिल्ट-अप एरिया 1306 वर्ग फुट, पहली मंजिल, अंजनी अपार्टमेंट, नगर निगम हाउस नंबर 4 एवं 5, सुतार गली, शहर: इंदौर, राज्य: मध्य प्रदेश, पिनकोड: 452001, **चर्तुसीमा** : पूर्व में: गली, पश्चिम में: फ्लैट नंबर 101, उत्तर में: सड़क, दक्षिण में: फ्लैट नंबर 105 एवं 106, अधिक विवरण विक्रय विलेख क्रं. 1A/1625 J/dt. 14-01-2005 एसआरओ, इंदौर में दिया गया है।
संपत्ति क्रमांक 2: फ्लैट नं. 101 एवं 109, कुल सुपर बिल्ट-अप एरिया 748 वर्ग फुट, पहली मंजिल, अंजनी अपार्टमेंट, नगर निगम हाउस नंबर 4 एवं 5, सुतार गली, शहर: इंदौर, राज्य: मध्य प्रदेश, पिनकोड: 452001, **चर्तुसीमा** : पूर्व में: फ्लैट नंबर 102, पश्चिम में: गली, उत्तर में: सड़क, दक्षिण में: सीढ़ियाँ, अधिक विक्रय विलेख क्रं. 1A/3394 Gh/dt.23-03-1999, एसआरओ, इंदौर में दिया गया है।

स्थान : मुम्बई **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 26.09.2025 **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड**
Edelweiss Asset Reconstruction

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निमाण वि./यां. संभाग (ओल्ड पलासिया) इंदौर
E mail ID:- eepwdelecind@mp.nic.in
निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 46/व.ले.लि./वि.यां./2025-26 इंदौर, दिनांक 23.09.2025
निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर नं.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनु. राशि (लाख में)	अमानत राशि (रु.)	निविदा प्रपत्र की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने करने की निर्धारित अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	2025_PWDRB 453844	वि./यां. उपसंभाग धार अंतर्गत सरदारपुर अनुभाग के आवासीय भवनों एवं रेस्ट हाऊस, सर्किट हाऊस, गैर आवासीय भवनों में ए.आर./एस.आर/ मूल/लघुमूल/अनुरक्षण/डिपाजिट के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य।	धार	25.00	50,000/-	5,000/-	केन्द्रीयकृत पीडब्ल्यूडी विद्युत पंजीकरण	12 माह वर्षाकाल सहित
2.	2025_PWDRB 453845	वि./यां. उपसंभाग धार अंतर्गत मनावर अनुभाग के आवासीय भवनों एवं रेस्ट हाऊस, सर्किट हाऊस, गैर आवासीय भवनों में ए.आर./एस.आर/ मूल/लघुमूल/अनुरक्षण/डिपाजिट के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य।	धार	25.00	50,000/-	5,000/-	--तदैव--	12 माह वर्षाकाल सहित
3.	2025_PWDRB 453846	वि./यां. उपसंभाग इंदौर अंतर्गत कलेक्ट्रोरेट अनुभाग के आवासीय भवनों एवं गैर आवासीय भवनों में ए.आर./एस.आर/मूल/लघुमूल अनुरक्षण/डिपाजिट के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य।	इंदौर	25.00	50,000/-	5,000/-	--तदैव--	12 माह वर्षाकाल सहित
4.	2025_PWDRB 453847	वि./यां. उपसंभाग खंडवा अंतर्गत बुरहानपुर अनुभाग के आवासीय भवनों में ए.आर./एस.आर/मूल/लघुमूल/अनुरक्षण/डिपाजिट के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य।	बुरहानपुर	25.00	50,000/-	5,000/-	--तदैव--	12 माह वर्षाकाल सहित
5.	2025_PWDRB 453848	वि./यां. उपसंभाग खंडवा अंतर्गत सरदारपुर अनुभाग के गैर आवासीय भवनों में ए.आर./एस.आर/मूल/लघुमूल/अनुरक्षण/डिपाजिट के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य।	बुरहानपुर	25.00	50,000/-	5,000/-	--तदैव--	12 माह वर्षाकाल सहित
		कुल राशि रु.		रु. 125.00				

1. उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाईन पेमेंट करने के पश्चात बिड डाक्यूमेंट क्रय किया जा सकता है।
2. बिड प्रस्तुत करते समय बिड प्रस्तुतकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है- 1. बिड डाक्यूमेंट की खरीदी प्रमाण, 2. अरनेस्ट मनी जमा करने का प्रमाण, 3. चेक लिस्ट, 4. एफिडेविट आदि अन्य विस्तृत जानकारी बिड डाटा शीट में देखी जा सकती है।
3. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की तिथि दिनांक 24.09.25 सुबह 10.30 से दिनांक 01.10.25 सायं 17.30 बजे तक निर्धारित है।
4. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन पेपर पब्लिकेशन में नहीं किया जाकर सिर्फ वेबसाइट पर ही किया जाएगा।

जी -19227/25

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. वि./यां. संभाग, इंदौर